कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

विभागीय पदोन्नति समिति से चयनोपरांत श्री सुरेन्द्र कुमार भादू का पदस्थापन आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/एपीओपदस्थापन/2015 दिनांक 04.01.16 द्वारा राउमावि पन्नीवाला जाटान गंगानगर किया गया। सुरेन्द्र कुमार भादू ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 341/2017 दायर की। याची ने अपनी याचिका में उसकी पदौन्नती 2002–03 सत्र में की जानी थी अतः उक्त अवधी के अनुसार पदौन्नती का लाभ मिलना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार परीक्षण करने के पश्चात् याची की मांग के विषय में पाया गया कि पदौन्नती वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्व आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/ओएसी/6004/चयन/2009/दिनांक 29.06.10 द्वारा व्याख्याता राज.विज्ञान में किया गया तथा आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/राज.वि./डीपीसी पदस्थापन/2008 दिनांक 13.0810 द्वारा इनका पदस्थापन राउमावि खांडवा, चुरू किया गया परन्तु याची ने कार्यग्रहण नहीं किया तथा याची का यह कथन प्रमाणित नहीं होता कि उसका पदस्थापन स्थान गलत होने के कारण के कारण याची कार्यग्रहण नहीं कर सका। तत्पश्चात याची को याची को 2009–10 की रिक्तियों के विरूद पदौन्नत किया गया तथा आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/ राज.वि./ पुरूष /डीपीसी / पदस्थापन/ 09–13/2013 दिनांक 29.05.13 द्वारा राउमावि बेगू चित्तौडगढ किया गया परन्तु इस बार भी याची ने कार्यग्रहण नहीं किया तथा याची ने कहा कि पदस्थापन आदेश त्रुटि पूर्ण था अतः वह कार्यग्रहण नहीं कर सका तथा पदस्थापन आदेश के संशोधन हेतु उसने पत्राचार किया परन्तु याची का यह कथन प्रमाणित नहीं है क्योंकि ऐसा कोई पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

इसके पश्चात् याची की पदौन्नती 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्व कि गई तथा याची को पदस्थापन हेतु आदेश कि प्रतिक्षा में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में उपस्थित होने के लिये पंत्राक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/राज.वि./पुरूष/डीपीसी/पदस्थापन/2013 –15 दिनांक 30.05.15 द्वारा आदेशित किया गया, परन्तु याची तत्समय इस कार्यालय में उपस्थित ना होकर दिनांक 21.09.15 को पत्र के आधार पर इस कार्यालय में उपस्थित हुआ। याची को आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/एपीओ/पदस्थापन/2015 दिनांक 04.01.16 द्वारा राउमावि पन्नीवाला जाटान गंगानगर में पदस्थापित किया गया, जहां याची ने कार्यग्रहण कर लिया। याची ने कभी भी अपनी पदौन्नती /पदस्थापन के लिऐ पत्राचार नहीं किया, यदि पदस्थापन आदेश के कोई टंकन त्रुटी थी तो याची उसकी आपति दर्ज कराई जानी चाहिये थी। अतः याची की कथित मांग तर्कसंगत नहीं है। याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–6/**याचिका सं0 341**/17 दिनांक 27-04-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक महेन्द्र सिंह गुर्जर, राउमावि मेताली, डूंगरपुर
4. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर